न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2015/00229
मिसल नम्बर–22/2015

सूरजमल पुत्र कालिया उर्फ कालूलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.पुष्पचंद पुत्र श्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा कोटा मृतक जरिये कायम मुकामान–
1/1.संतोष बाई पत्नि स्व0 पुष्पचंद जाति कुम्हार
1/2.दीपक पुत्र स्व0 पुष्पचंद जाति कुम्हार
1/3.आरती पुत्री स्व0 पुष्पचंद जाति कुम्हार
1/4.ज्योति पुत्री स्व0 पुष्पचंद जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.श्रीमति जानकी बाई पत्नी श्री किशनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम लाडपुरा कैथून कोटा
3.भंवरलाल पुत्र गणेशराम जाति माली निवासी मकान नं0 10, सुखधाम कॉलोनी बोरखेड़ा कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 30/5/25

उपस्थिति:–
1.श्री बनवारीलाल नागर अधिवक्ता प्रार्थी ।
2.श्री रामकिशन वर्मा अप्रार्थी नं0 2 अधिवक्ता।
3.श्री घनश्याम नागर अप्रार्थी नं0 3 अधिवक्ता

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम अरलिया जागीर तह. लाडपुरा, जिला कोटा का निवासी है तथा प्रार्थी के कब्जे व खातेदारी की आराजी ग्रम अरलिया तह. लाडपुरा, जिला कोटा राज, में खसरा नबर 359 की 0.0900 है. खसरा नबर 475 की 0.040 है0 व खसरा नबर 476 की

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

3.97 हैक्टर आराजी स्थित है। प्रार्थी का खेत खसरा नबर 476 रकबा 3.97 हैक्टर लिंक रोड़ अरलिया से अरण्डखेड़ा से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नबर 476 रकबा 3.97 हैक्टर पर अप्रार्थी नं. 1 के खेत खसरा नंबर 486 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि की मेड के सहारे के रास्ता कई वर्षो से निकलता आ रहा है तथा उक्त अप्रार्थी नं, 1 के खेत की मेड के रास्ते से आता जाता है, तथा प्रार्थी अपने उक्त खेत की हंकाई जुताई व फसल आदि ट्रेक्टर ट्रोली से लाता ले जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 476 रकबा 3.97 हैक्टर अप्रार्थी नं. 1 के खेत खसरा नंबर 486 की मेड़ के सहारे होकर अपने खेत खसरा नंबर 476 पर आता जाता था तथा उसके बाद ही प्रार्थी व अन्य संयुक्त खातेदार सोनू बाई, ललिता बेवा भंवरलाल के खेत आ जाते थे, लेकिन अब प्रार्थी व ललिता के मध्य पारिवारिक बंटवारा न्यायालय द्वारा होने पर खसरा नंबर 476 रकबा 1.37 हैक्टर आराजी सोनू बाई व ललिता के खाते में दर्ज हो गयी तथा उक्त आराजी 476 रकबा 1.37 हैक्टर को सोनू बाई, ललिता द्वारा अप्रार्थी नं. 2 को बैचान कर दिया। अब प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नंबर 476 पर आने जाने के लिये अप्रार्थी नं. 1 का खेत खसरा नंबर 486 की मेड़ के सहारे सहारे से होता हुआ अप्रार्थी नं. 2 के खेत खसरा नंबर 476 की मेड़ के सहारे होकर अपने खेत खसरा नंबर 476 में आता जाता है, तथा उक्त खेत पूर्व में एक ही खसरा नंबर 476 शामलाती खाते में था, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद उक्त खेत के बंटवारे में खसरा नंबर 476/1 कर दिया तथा उक्त खेत को अप्रार्थी नं. 2 को बैचान कर दिया, जिससे अप्रार्थी नं. 2 प्रार्थी के खेत पर आने जाने में व्यवधान पैदा करती है प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नंबर 76 रकबा 3.97 हैक्टर आराजी पर कई वर्षो से खसरा नंबर 486 की मेड के सहारे सहारे के रास्ते होकर अपने खेत पर जाता आता था तथा उसके बाद प्रार्थी का खेत आ जाता था, लेकिन अब बंटवारा होने से उक्त खेत में खसरा नंबर 476/1 बना, जिसको संयुक्त खातेदार उक्त आराजी को अप्रार्थी नं. 2 को बैचान कर दिया तथा उक्त खसरा नंबर 476/1 प्रार्थी के खेत के पहले आने से उक्त खेत की मेड के सहारे रास्ते से अपने उक्त खेत में ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि यंत्र आदि लेकर आता है तथा उक्त रास्ते को कई वर्षो से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी के उक्त खेत पर आने जाने में अप्रार्थीगण व्यवधान उत्पन्न करते है तथा रास्ता को अवरूद्ध करने पर आमादा रहते है, जिससे प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने में काफी परेशानी होती है तथा प्रार्थी के खेत पर आने जाने के रास्ते को रेवेन्यू रिकार्ड में कायम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली अप्रार्थी की जमीन के एवज में प्रार्थी डी.एल.सी. रेट के अनुसार नियमानुसार राशि जमा करवाने को तत्पर है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के खेत ख.नं. 476 रकबा 3.97 है. वाके ग्राम अरलिया जागीर तह. लाडपुरा जिला कोटा पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी न. 1 के खेत खसरा नंबर 486 का मेड का मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ अप्रार्थी नं. 2 के खेत खसरा नंबर 476 की मेड के सहारे सहारे रास्ता कायम करके रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिससे प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने में भविष्य में परेशानी नहीं हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 02 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी ने कब्जे व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 476 की सम्पूर्ण भूमि 3–97 हेक्टर बतायी है जो गलत है उक्त खसरा नम्बर 476 की भूमि में से प्रतिपक्षीनी नं० 2 के हिस्से की 1–37 हेक्टर भूंमि है जिस पर प्रतिपक्षीनी न० 2 बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। प्रार्थी के खेत ख०नं० 476 के उत्तर दिशा में उक्त रास्ता अरलिया से अरण्डखेडा कायम हे जिससे ही प्रार्थी अपने खेत में होकर आता जाता है। प्रार्थी ने कब्जे व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 476 की सम्पूर्ण भूमि 3–97 हेक्टर बतायी है जो गलत है उक्त खसरा नम्बर 476 की भूमि में से प्रतिपक्षीनी नं0 2 के हिस्से की 1–37 हेक्टर भूंमि है। उक्त सम्पूर्ण खेत को प्रार्थी ने अपना बताया है जो गलत है। जब कि ख0नं0 486 को स्वयं प्रार्थी ने खरीद बाद में किया हे तथा उक्त खरीद शुदा खेत प्रतिपक्षीनी द्वारा खरीद शुदा खेत रोड़ की तरफ पड़ने से प्रार्थी जबरन प्रतिपक्षीनी के खेत में होकर रास्ता बनाना चाहता है जो अस्वीकार है। जब कि पारिवारिक बंटवारे के समय प्रार्थी का रास्ता उत्तर दिशा की तरफ था तथा प्रतिपक्षिनी द्वारा खरीद शुदा खेत दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है। प्रार्थी द्वारा खरीद किया गया खसरा नम्बर 486 दक्षिण दिशा की तरफ स्थित होने व प्रार्थी का रास्ता उत्तर दिशा की तरफ होने से प्रार्थी को रास्ता मांगने का अधिकार नहीं हे। उत्तर दिशा से सम्पूर्ण सयुंक्त खातेदारान का रास्ता चला आ रहा है बाद में प्रतिपक्षीनी द्वारा खरीदे गये 1–37 हेक्टर हिस्सा की तरफ रोड़ निकल जाने से प्रार्थी जबरन प्रतिपक्षीनी के खेत में होकर नया रास्ता बनाने पर आमादा है जो मान्य नहीं है। प्रतिपक्षीनी ने खरीद शुदा खेत को उपजाऊ बनाने के लिये पत्थर के कोट व बोरिगं करवा कर समतल बनाने में मेहनत की है व रकम खर्च की है । प्रार्थी प्रतिपक्षीनी की भूमि में रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं है और न ही डीएलसी रेट से कीमत आंकी जा सकती है। खसरा नम्बर 476 की भुमि के उत्तर की ओर रास्ता कायम है इसी रास्ते से होकर प्रार्थी वर्षों से आता जाता रहा हे। उक्त भूमि के दक्षिण में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। उक्त खसरा नम्बर 476 की 3–97 हेक्टर भूमि मे से 1–37 हेक्टर भूमि दक्षिण ओर की भूमि खरीद की हे। प्रार्थी द्वारा भूमि प्रतिपक्षीनी को बेचान करते समय दक्षिण ओर कोई रास्ता नहीं था ओर न कभी रहा हे। इस कारण रास्ता खुलासा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र रास्ता खुलासा करने हेतु पेश किया है जब कि प्रतिपक्षीनी के खेत की और अथवा खेत में से होकर कभी कोई रास्ता नही रहा हे। बल्कि प्रतिपक्षीनी द्वारा भूंमि खरीद किये जाने के बाद रोड बनाया गया हे। इस कारण प्रार्थी के मन में बेइमानी आ जाने से अब झूंठे तथ्यों पर रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी नं० 1 के खेत ख०न0 486 की भूमि के मेड पर होकर अथवा उक्त भूमि में कभी भी रास्ता नही रहा है। ख०नं० 476/1 की भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है ओर न कभी रास्ते का उपयोग किया गया है उक्त भूमि में होकर प्रार्थी ने कभी ट्रैक्टर ट्रोली लेकर नहीं आया। केवल मात्र परेशान व

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नुकसान पहंचाने की बदनियती से खडी फसल में होकर एक दो बार ट्रेक्टर निकालने पर प्रतिपक्षीनी ने थाने में भी रिपोर्ट की है। उसकी आड लेकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने एक तरफ तो आवेदन रास्ता खुलासा करने की बात करता है वहीं दूसरी ओर प्रतिपक्षीनी की भूमि में रास्ता कायम करवाने की बात करता है इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। तथा प्रतिपक्षीनी को विशेष हर्जाना दिलवाया जावे। अप्रार्थी क्रम 03 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग हमेशा की भांति आज भीं करता चला आ रहा है, सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि मे से जबरन व ताकत के बल पर रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी की आराजी मे से होकर प्रार्थी का रास्ता कभी भी नही रहा है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी द्वारा आसपास के व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया है। और न प्रभावित व्यक्तियो को पक्षकार नही बनाया है इस कारण से भी प्रार्थनां पत्र पोषणीय नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है प्रार्थी खातेदार सूरजमल पुत्र कालिया जाति धाकड़ निवासी अरल्या जागीर अपने खाते की भूमि ग्राम अरल्या जागीर ख0नं0 475 व 476 में आने जाने हेतु मुख्य सडक ख0नं0 761/488 गै0मु0 सड़क से ख0नं0 750/657 खातेदार भंवरलाल पुत्र गणेशराम जाति माली नि0 सुखधाम कॉलोनी बोरखेड़ा के खाते की भूमि में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहता है। ख0नं0 486 में रास्ते की लम्बाई 40 मीटर तथा ख0नं0 750/657 में रास्ते की लम्बाई 150 मीटर है। इस प्रकार ख0नं0 486 में 160 मीटर^2 तथा ख0नं0 750/657 में 600 मीटर^2 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है। वादी इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वर्तमान में उक्त रास्ता चालू है यह रास्ता 10 वर्षो से अधिक समय से चालू होना बताया गया है।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 3 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.08.2024 के आधार पर निर्णय किया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि ख0नं0 476 में जाने के लिए नक्शा लट्ठा में कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नही है। तहसील रिपोर्ट में चिन्हित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास नही है। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि मौके पर वर्तमान में रास्ता नहीं

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

है, किन्तु प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए रास्ता दिया जाना अत्यंत आवश्यक है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को नया रास्ता प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव है।

उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 476 तक कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसील द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 486 एवं 750/657 में से 4 मीटर चौडाई में मार्ग उपलब्ध कराया जावें।

तहसील द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि सर्वप्रथम रास्ते के क्षेत्र की गणना कर डीएलसी दर से दोगुनी राशि सम्बंधित खातेदारों को उपलब्ध करावें व तत्पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर नियमानुसार गैर मुमकिन रास्ते की तरमीम की जावें। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा